न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः पीयुष समारिया,
आई0ए0एस0

नामा0अपील सं0 16/2002

रामस्वरूप पुत्र चौथी लाल जाति ब्राहमण निवासी पाखर तहसील महवा जिला दौसा
.....अपीलांट

बनाम

मंदिर श्री हनुमानजी महाराज संरक्षक ग्राम पंचायत पाखर तहसील महवा जिला दौसा
.....रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरुद्ध आदेश नामान्तरण सं0 94 दिनांक 30.6.1999 वाके ग्राम पाखर न्यायालय तहसीलदार, महवा

उपस्थिति– 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः 14.12.2021

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा जिला दौसा ने दिनांक 30.6.1999 को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण संख्या 94 वाके ग्राम पाखर तस्दीक कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में तथ्य अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उनकी बहस में दलील है कि तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 30.6.1999 को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण संख्या 94 को विधि विरुद्ध प्रकिया नियमों के विपरीत जाकर तस्दीक किया गया है। आराजी खसरा नंबर 1797 रकबा 1.60है0 गै0मु0तलाई वाके ग्राम पाखर में स्थित है। तहसील महवा मे भू प्रबंध का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके भू–प्रबंध के पूर्व खसरा नंबर 455 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा है। खसरा नंबर 1797 व पूर्व खसरा नंबर 455 की किस्म गैर मुमकिन तलाई है, जो बिना किस्म परिवर्तन के आवंटित नहीं की जा सकती है। तहसीलदार महवा द्वारा अवैध आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण तस्दीक किया गया है, जो गैर कानूनी है। कृषि भूमि हेतु आवंटन नियमों के अंतर्गत किसी भी मूर्ति के नाम भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। फिर भी उक्त सरासर गैर कानूनी आवंटन के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किया गया है। दिनांक 28.01.1985 को आवंटन कमेटी द्वारा गैर मुमकिन तलाई का आवंटन किया गया था, जो हनुमानजी महाराज के नाम की गई थीं। जबकि आवंटन आदेश में दर्ज है कि उक्त गैर मुमकिन तलाई पर बतौर अतिक्रमी अपीलांट का कब्जा है। ऐसी सूरत में कोई भूमि जब तक खाली न हो तो भूमि आवंटित नही की जा सकती है। ऐसे गैर कानूनी तरीके से किये गये आवंटन के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरण अवैध होने से निरस्त योग्य है। उप जिला कलक्टर हिण्डौन ने दिनांक 28.1.1985 को ही जो आवंटन आदेश खसरा नंबर 455 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा ग्राम पाखर हनुमानजी के नाम किया गया

था, उसे निरस्त करते हुए जिला कलक्टर महोदय, सवाई माधोपुर को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया था। ग्राम पाखर वर्तमान में तहसील महवा में स्थित है, जो कि पूर्व मे सवाई माधोपुर जिले का भाग था। तहसीलदार महवा द्वारा निरस्तशुदा आवंटन के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो सरासर अवैध है एवं कानून की निगाह में शून्य है। अपीलांट द्वारा सैटलमेंट के दौरान सहायक भू प्रबध अधिकारी महवा के यहॉ दिनांक दिनांक 9.9. 1993 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि हनुमानजी के नाम जो नामान्तरण आवंटी होने के कारण प्रस्तुत किया गया है वह निरस्त किया जा चुका है। इसलिए उक्त नामान्तरण निरस्त किया जावे, जिस पर दिनांक 4.10.1993 को सहायक भू प्रबंध अधिकारी महवा द्वारा नामान्तरण निरस्त करने का आदेश दिया गया, लेकिन उक्त आदेश के बावजूद भी राजस्व रेकार्ड में आदेश की पालना नहीं की गई और अब खातेदारी का नामान्तरण तस्दीक किया गया है, जो सरासर अवैध व कानूनन शून्य है। इसके साथ ही अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों की बदनीयती एवं लापरवाही का उदाहरण है। उक्त गैर मुमकिन तलाई भूमि पर अपीलांट का कब्जा है और आज भी उक्त जमीन पर अपीलांट ही काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है व उक्त तलाई के चारों ओर अपीलांट की कृषि भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण तस्दीक किये जाते समय नामान्तरण से संबंधित किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है, इसलिए नामान्तरण सरासर अवैध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 30.6. 1999 वाके ग्राम पाखर को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 30. 6.1999 को आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने पर नामान्तरण सं0 94 को विधि प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण नियमानुसार खोला गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 30.6. 1999 को आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने पर नामान्तरण संख्या 94 पटवारी हल्का के नामान्तरण भरने पर संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक के तुलनात्मक अंकन के बाद तस्दीक किया गया है। पत्रावली में संलग्न आवंटन कमेटी की आज्ञा दिनांक 28.1.1985 का अवलोकन किया गया। दिनांक 28.1.1985 को गैर मुमकिन तलाई भूमि को मुताबिक रिपोर्ट पानी नहीं भरना अंकित किया है। अतः भूमि ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र के अनुसार मंदिर हनुमानजी हेतु आवंटित की गई है। भूमि ग्राम पंचायत के संरक्षकत्व में रहेगी। तत्पश्चात दिनांक 28.1.1985 को ही उप जिला कलक्टर हिंडौन कैंप उकरूंद तहसील महवा द्वारा आदेश पारित किया गया कि ग्राम पाखर में श्री हनुमानजी के नाम खसरा नंबर 455 रकबा 06 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0तलाई में आवंटन किया गया है, जिसमें ग्रामवासियों तथा एडवाईजरी कमेटी के सदस्यों ने बाद में आपत्ति प्रकट की है, कि मूर्ति श्री हनुमानजी को

जो आवंटन ग्राम पाखर के खसरा नंबर 455 गैर मुमकिन तलाई में हुआ है, वह जनहित में उपयोगी नहीं होकर ग्रामवासियों में विवाद पैदा करता है। आदेश खसरा नंबर 455 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा गैर मुमकिन तलाई ग्राम पाखर आवंटन निरस्त किया जाता है तथा जो आदेश जारी हुआ है, उसको निरस्त मानकर दूसरा आदेश जारी है। निरस्त आवंटन खसरा नंबर 455 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0तलाई ग्राम पाखर की सूचना जिलाधीश महोदय, सवाई माधोपुर को प्रेषित है। इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश दिनांक 28.1.1985 को आवंटित की गई भूमि का आवंटन उसी दिन अर्थात दिनांक 28.01.1985 को ही निरस्त कर दिया गया। आवंटन निरस्त होने के बाद भी आवंटित भूमि का नामान्तरण भरकर तहसीलदार महवा द्वारा तस्दीक किया गया है। जब भूमि का आवंटन ही निरस्त हो गया तो नामान्तरण तस्दीक करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण को निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 94 आदेश दिनांक 30.6.1999 वाके ग्राम पाखर को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 14 दिसंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,दौसा